[2019] 14 एस. सी. आर 781

डॉ. तन्वी बहल

वी.

श्रे गोएल और ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 9289)

09 दिसंबर, 2019

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थानः

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश अधिवास आधारित आरक्षण-चिकित्सा की वैधता और वैधता

अधिवास/निवास आधारित आरक्षण के लिए प्रदान किए गए महाविद्यालय

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पूल-चुनौती-उच्च न्यायालय

इस तरह के आरक्षण को अमान्य ठहराया और इस तरह के अमान्य आरक्षण के आधार पर किए गए प्रवेश को रद्द करने का निर्देश दिया-सुप्रीम कोर्ट में अपील

न्यायालय आयोजितः उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठों ने

अधिवास, निवास आधारित आरक्षण की अवधारणा को पूरी तरह से समाप्त/अस्वीकृत नहीं किया गया है-हालाँकि, इस तरह के अधिवास/निवास आधारित आरक्षण प्रदान करने के तरीके को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।

अतार्किक या मनमाना पाया गया-इसलिए, यह सवाल कि क्या अधिवास/निवास आधारित आरक्षण, विशेष रूप से स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश में संवैधानिक रूप से अनुमत है और

अनुमेय इसका तरीका और तौर-तरीके क्या होंगे।

उच्चतम न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा कार्यान्वयन की जांच किए जाने की आवश्यकता है

आधिकारिक घोषणा के लिए न्यायालय।

निखिल हिम्मथानी और अन्य। वी. उत्तराखंड राज्य और अन्य। (2013) 10 एससीसी 237: [2013] 14 एस. सी. आर. 23; सत्यब्रत साहू और अन्य। वी. उड़ीसा राज्य (2012) 8 एससीसी 203: [2012] 10 एससीआर 204; विशाल गोयल और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। (2014) 11 एस. सी. सी. 456; डॉ. कृति लखिना बनाम। कर्नाटक राज्य (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन एससी

324 – प्रतिष्ठित।

डॉ. प्रदीप जैन और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (1984) 3 एससीसी 654: [1984] 3 एस. सी. आर. 942; जगदीश सरन बनाम भारत संघ (1980) 2 एससीसी 768: [1980] 2 एससीआर 831; मगन मेहरोत्रा बनाम। यूओआई (2003) 11 एससीसी

186 – अप्रयोज्य रखा गया।

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र और अन्य।

वी. मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। (2016) 7 एससीसी 353 पुनर्विचार की आवश्यकता है। -

सौरभ चौधरी और ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस।

(2013) 11 एस. सी. सी. 146; आशीष रंजन बनाम। यूओआई और ओआरएस। (2016) 11 एस. सी. सी. 225; यतीनकुमार जसुभाई पटेल और

11 ; यू. पी. राज्य बनाम प्रदीप टंडन (1975) 1 एससीसी 267 : [1975] 2 एससीआर 761; D.P.Joshi वी। एम. पी. की स्थिति

आकाशवाणी 1955 एस. सी. 334: [1955] एससीआर 1215; ईसाई

मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर बनाम। भारत संघ (2014) 2

एस. सी. सी. 305 [2013] 7 एस. सी. आर. 908-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2013) 11 एस. सी. सी. 146

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1984] 3 एससीआर 942

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

अप्रयोज्य रखा गया

[1980] 2 एससीआर 831

पैरा

(2003) 11 एस. सी. सी 186

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

[2013] 14 एससीआर 23

प्रतिष्ठित

पैरा

(2014) 11 एससीसी 456

प्रतिष्ठित

पैरा

(2018) एससीसी ऑनलाइन एससी 324 प्रतिष्ठित

पैरा

[2012] 10 एससीआर 204

प्रतिष्ठित

पैरा

(2016) 11 एससीसी 225

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2019] 10 एससीसी 11

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1975] 2 एससीआर 761

पैरा

संदर्भित किया गया है

[1955] एससीआर 1215

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2013] 7 एससीआर 908

संदर्भित किया गया है

पैरा

(2016) 7 एस. सी. सी. 353

पुनर्विचार की जरूरत

पैरा

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

2019 से।

के 23.04.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. डब्ल्यू. ओ. सं. 8234 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का न्यायालयः (ओ एंड एम)

डॉ. तन्वी बहल बनाम। श्रे गोएल और ओआरएस।

के साथ

सिविल अपील सं। 9290. 9291 , 9292-9293 2019 से। पी. एस. पटवालिया, निधेश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , चंद्र प्रकाश,

सी. पी. राजवार, विवेक सिंह, ध्रुव श्योराण, मोहित कुमार दारोद, पंकज जैन, हर्षिका वर्मा, राकेश दहिया, अविजीत मणि त्रिपाठी, सुश्री जपनीत कौर, सुश्री वृति गुजराल, सुश्री पल्लवी सिंह, संदीप चौधरी, आदित्य दहिया, हेमंत कुशवाहा, गौरव शर्मा,

गौरन शर्मा, धवल मोहन, प्रतीक भाटिया, प्रसाना मोहन, कुमार दुष्यंत सिंह, सुश्री जसप्रित गोगिया, रोहित शर्मा, रौणक नायक, अतुल अग्रवाल, अंशुल चौधरी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

प्रारंभिक

1. छुट्टी दे दी गई।

2. विशेष अनुमति द्वारा ये चार अपील, के खिलाफ निर्देशित

2019 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8234 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 23.04.2019

(2019 का ओ एंड एम) और सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 9565 (ओ एंड एम) और अनिवार्य रूप से अधिवास की वैधता और वैधता से संबंधित समान प्रश्न शामिल हैं।

सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, चंडीगढ़ 2 में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम (एम. डी./एम. एस. पाठ्यक्रम 2019) 1 में प्रवेश के लिए निवास-आधारित आरक्षण पर एक साथ विचार किया गया है और इसे इस सामान्य आदेश द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। 3. 1 इसके बाद "पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम" के रूप में भी संदर्भित 2 इसके बाद "मेडिकल कॉलेज"/"उक्त मेडिकल कॉलेज" के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। 3 शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 'चंडीगढ़ की पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों' के लिए प्रश्नगत आरक्षण प्रदान किया गया है। पात्र उम्मीदवार जिनके अंतर्गत

यह श्रेणी वे हैं (i) जिन्होंने चंडीगढ़ में 5 साल तक पढ़ाई की है; या (ii) जिनके माता-पिता 5 साल की अवधि के लिए चंडीगढ़ में रहे हैं; या (iii) जो उन व्यक्तियों के बच्चे हैं जिन्होंने चंडीगढ़ में अचल संपत्ति रखी है या रख रहे हैं या जिन्होंने खुद 5 साल की अवधि के लिए ऐसी अचल संपत्ति रखी है या रख रहे हैं। अधिवास और निवास की दो अवधारणाओं में सूक्ष्म अंतर के बावजूद, प्रस्तुत की गई दलीलों और इसमें शामिल प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए [जैसा कि इस न्यायालय ने योगेश भारद्वाज बनाम के मामले में उल्लेख किया है। यू. पी. और अन्य राज्य। : (1990) 3 एस. सी. सी. 355], विचाराधीन आरक्षण/वरीयता को यहाँ 'अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण' के रूप में संदर्भित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ में दिनांकित 23.04.2019 के विवादित फैसले और आदेश द्वारा इस आदेश को अमान्य करार दिया है।

उक्त मेडिकल कॉलेज द्वारा अपनी विवरणिका में किए गए प्रावधान, जो अब तक यू. टी. 4 चंडीगढ़ पूल में प्रदान किए गए अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण से संबंधित हैं; और निर्देश देते हुए इसे रद्द कर दिया है कि उक्त मेडिकल कॉलेज में इस तरह के अमान्य आरक्षण के आधार पर किए गए सभी प्रवेश रद्द कर दिए जाएं और इसके लिए नई प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाए। शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। 3 पीड़ित, जिन उम्मीदवारों का पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश रद्द किया जाना था, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और उक्त मेडिकल कॉलेज ने भी इन अपीलों को प्राथमिकता दी है।

हमारे सामने दलों के बारे में। 4.1 . एसएलपी (सी) सं. से उत्पन्न अपील में अपीलार्थी। 2019 की 12918, वर्ष 2014 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की; 04.08.2016 पर पंजाब मेडिकल काउंसिल में डॉक्टर के रूप में खुद को पंजीकृत किया; उपस्थित हुए

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए एन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2019 के लिए; 410 अंक प्राप्त किए और अखिल भारतीय रैंक में 51533 पर रखा गया। इसके बाद अपीलार्थी ने यू. टी. पूल कोटा के तहत प्रवेश के लिए आवेदन किया क्योंकि वह 2006 से चंडीगढ़ में अधिवासित थी। उच्च न्यायालय के समक्ष 2019 (ओ एंड एम) के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8234 के निर्णय के लंबित रहने के कारण, अपीलार्थी का चयन वर्ष 2019 के पहले दौर में सूक्ष्म जीव विज्ञान में एम. डी. में प्रवेश के लिए किया गया था।

05.04.2019 पर आयोजित परामर्श; पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान रु। 33,420 / - ; और 01.05.2019 से अपनी कक्षाएं शुरू होने का इंतजार कर रही थी। दिनांक 23.04.2019 के विवादित आदेश के खतरे में होने के कारण, उसने इस अपील को प्राथमिकता दी है, हालांकि वह उक्त रिट याचिकाओं में पक्षकार नहीं थी।

4.2 . 2019 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 11441 के अपीलार्थी, अपना स्नातक पूरा करने के बाद, उसी एन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2019 में उपस्थित हुए थे जो 06.01.2019 पर आयोजित किया गया था और उन्होंने 639 और 454 अंक प्राप्त किए थे, जिससे वे क्रमशः 10910 और 40780 रैंक पर रहे। अपीलार्थी नं. 1

4 ' केंद्र शासित प्रदेश 'को' केंद्र शासित प्रदेश '5 के रूप में संक्षिप्त किया गया है, जिसे इसके बाद' एन. ई. ई. टी. '/' एन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2019 'डी. आर. के रूप में भी जाना जाता है।

तन्वी बहल बनाम। श्रे गोएल और ओआरएस।

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

इसमें सामान्य श्रेणी है जबकि अपीलार्थी संख्या 2 अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है। इन अपीलार्थियों ने उक्त मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया था; परामर्श सत्रों में भाग लिया;

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पूल के तहत सीटों की पेशकश की गई थी जो योग्यता में अधिक थी; उन्हें उनके संबंधित विषय आवंटित किए गए थे; और आवश्यक शुल्क का भुगतान किया था। ये अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या थे। 11 और 5 क्रमशः 2019 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8234 (ओ. एंड. एम.) में उच्च न्यायालय के समक्ष और दिनांक 23.04.2019 के विवादित आदेश को देखते हुए उनके प्रवेश को खतरे में डालने के लिए अपील को प्राथमिकता दी है।

4.3 . 2019 के एस. एल. पी. (सी) सं. 12919-20 की अपीलार्थी ने 2016 में अपना एम. बी. बी. एस. पूरा किया और पंजाब में डॉक्टर के रूप में पंजीकृत थी।

मेडिकल बोर्ड। वह भी एन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2019 में आई. डी. 1 पर आयोजित हुई और 770 अंकों के साथ 2164 वें स्थान पर रही। उन्होंने उसके बाद आयोजित परामर्श सत्रों में भाग लिया। और अखिल भारतीय कोटा के तहत सामान्य शल्य चिकित्सा में एम. एस. के पाठ्यक्रम के लिए चुना गया था। हालाँकि अपीलार्थी ने उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पूल कोटा सूची में क्रम संख्या 8 में सूचीबद्ध था और इस तरह, उसे उस कोटे में एक और पाठ्यक्रम आवंटित होने की उम्मीद थी।

4.3. 1 . यह अपीलार्थी का मामला है कि पहले दौर में चुने जाने के बावजूद, जिसमें उसे सामान्य शल्य चिकित्सा में एम. एस. आवंटित किया गया था

और दूसरे दौर की परामर्श की प्रतीक्षा करते हुए, मेडिकल कॉलेज ने अनिवार्य किया कि उसे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पूल कोटा के तहत दूसरे दौर की परामर्श में उपस्थित होने से पहले सामान्य शल्य चिकित्सा में एम. एस. की अपनी सीट को आत्मसमर्पण करना चाहिए, हालांकि इस तरह की सीट का समर्पण अन्य उम्मीदवारों के संबंध में अनिवार्य नहीं था। फिर भी, अपीलार्थी ने यू. टी. चंडीगढ़ पूल कोटा में प्रसूति और स्त्री रोग में एम. एस. में एक सीट हासिल की और 05.04.2019 पर अपनी फीस का विधिवत भुगतान किया।

इसके बाद, आदेश के पारित होने के साथ, इस अपीलार्थी का प्रवेश भी खतरे में था और इसलिए उसने, हालांकि उक्त रिट याचिकाओं का पक्षकार नहीं है, इस अपील को प्राथमिकता दी है।

4.4 . 2019 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 11477 से उत्पन्न अपील के अपीलार्थी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ हैं और उक्त

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पूल में अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण के प्रस्ताव के खिलाफ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है।

4.5 . इसलिए, यहाँ सभी अपीलार्थी दिनांकित 23.04.2019 के विवादित आदेश से व्यथित हैं और उन्होंने कमोबेश इसी तरह के आधारों पर सवाल उठाए हैं।

9] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. दूसरी ओर, इन अपीलों के प्रतियोगी उत्तरदाता

अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता थे। उन्होंने समान प्रस्तुतियों पर विवादित आदेश का समर्थन किया है। 6. यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारतीय चिकित्सा परिषद उच्च न्यायालय के समक्ष इस मुकदमे में पक्षकार नहीं थी, लेकिन आदेश दिया गया था कि

दिनांकित 06.05.2019 आदेश द्वारा इन कार्यवाहियों में शामिल किया गया। इसके अलावा,

09.05.2019 पर, इस न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को पहले से ही भर्ती किए गए छात्रों (शैक्षणिक सत्र 2019-20) को पक्षकारों के रूप में शामिल करने की अनुमति दी; और अनुमति दी विज्ञापन-उच्च न्यायालय के विवादित आदेश पर अंतरिम रोक, जबकि

यह स्पष्ट करते हुए कि प्रवेश प्रक्रिया जो अधिवास/निवास को नियंत्रित करने वाले उल्लिखित प्रावधानों के आधार पर पूरी की गई थी-आधारित

आरक्षण इन मामलों के परिणाम के अधीन होगा।

प्रश्न और पृष्ठभूमि के पहलू

संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह का आरक्षण प्रदान करने के तरीके और तौर-तरीकों के बारे में; और विशेष रूप से, केवल एक मेडिकल कॉलेज वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में। जिन पृष्ठभूमि में ये सवाल उठे हैं, उन पर ध्यान दिया जा सकता है। इन्फ्रा के रूप में।

शैक्षणिक वर्ष 2018-19-डॉ. चाहत भाटिया के मामले में निर्णय

8. शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए, सरकारी चिकित्सा

कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चंडीगढ़ ने अपने पीजी के लिए एक विवरण पुस्तिका जारी की थी।

चिकित्सा पाठ्यक्रमों ने यह बताते हुए कि उक्त स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में संस्थान के पास 125 सीटें उपलब्ध थीं, जिनमें से 50 प्रतिशत यानी 63 सीटें अखिल भारतीय कोटा के लिए आवंटित की गई थीं, जबकि शेष 62 सीटें उन छात्रों के लिए थीं जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के चिकित्सा संस्थानों से एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। यह नुस्खा

6 इनमें से 15 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इस तरह के आरक्षण के बाद बची हुई सीटों को खुली सीटें कहा जाता है और यहां चर्चा अनिवार्य रूप से ऐसी खुली सीटों से संबंधित है।

डॉ. तन्वी बहल बनाम। श्रे गोएल और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

' 'संस्थागत वरीयता' को एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष, 2018 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 8962 होने के नातेः डॉ. चाहत भाटिया बनाम सरकारी मेडिकल कॉलेज और

अस्पताल, सेक्टर 32, चंडीगढ़ और अन्य। उच्च न्यायालय, वैसे

अपने दिनांकित 07.05.2018 के अंतरिम आदेश में, 'संस्थागत वरीयता' से संबंधित खंड के आवेदन पर रोक लगा दी गई। उक्त स्थगन आदेश देते हुए, एसएलपी

इसलिए, उच्च न्यायालय ने उक्त मुद्दे पर विचार नहीं किया। 8.1 . उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 15.05.2018 आदेश में उल्लेख किया कि इस क्षेत्र के भीतर केवल एक ही चिकित्सा संस्थान स्थित था।

चंडीगढ़ इस स्थिति की ओर अग्रसर है कि सभी सीटें घटाने के बाद

आरक्षितों को उक्त मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों से भरा जाएगा, जिससे वे वंचित रह जाएंगे।

चंडीगढ़ में पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के अवसर वाले क्षेत्र के अन्य सभी उम्मीदवार। यह तर्क दिया गया था कि मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव संस्थागत वरीयता पर 100% आरक्षण के बराबर था जो इस न्यायालय के तय किए गए निर्णयों के संदर्भ में अस्वीकार्य था। आग्रह की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने

निर्धारण के लिए दो मुद्दों का उल्लेख नीचे किया गया हैः

" i) क्या विवरण पत्रिका में लगाई गई शर्त के साथ-साथ एक एकल संस्थान के तथ्य के कारण

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ वरीयता की क्षेत्रीय सीमा

विवरण पत्रिका में विचार किया गया 100% के समान होगा। कार्यकाल पूरा करने वालों के पक्ष में आरक्षण

सरकारी मेडिकल कॉलेज से उनका एमबीबीएस पाठ्यक्रम और अस्पताल, सेक्टर 32, चंडीगढ़ या नहीं।

ii) जिन उम्मीदवारों ने अपनी स्कूली शिक्षा चंडीगढ़ में की है या चंडीगढ़ शहर से जुड़े हैं, उन्हें वरीयता दी जानी चाहिए या नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8.2 . इस प्रकार संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ दूसरे मुद्दे को अलग कर दियाः

" जहाँ तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, इसे लंबे समय तक हमारा ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे माननीय की विभिन्न घोषणाओं द्वारा सुलझा लिया गया है। उच्चतम न्यायालय केवल निवास के आधार पर वरीयता या महत्व को कम करता है। इसलिए, जीवित मुद्दा वह है जिसे हमने ऊपर (i) पर निर्धारित किया है।

8.3 . उपरोक्त टिप्पणियों के बाद, उच्च न्यायालय ने नोट किया कि संस्थागत वरीयता की अवधारणा दृढ़ आधार पर खड़ी थी इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के साथ; और, विशेष रूप से सौरभ चौधरी और अन्य मामलों में संविधान पीठ के निर्णय के संदर्भ में। वी. भारत संघ और ओआरएस। : 2013 (11) एस. सी. सी. 146 ने कहा कि यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं है कि संस्थागत वरीयता होगी

एक वैध मानदंड हो सकता है लेकिन फिर, इसका विस्तार कानून में कष्टप्रद और बुरा हो सकता है। उच्च न्यायालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 के विनियम 9 (IV) और 9 ए में किए गए प्रावधानों का भी उल्लेख किया।

पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य जैसे विभिन्न राज्यों द्वारा वरीयता प्रदान की जाती है। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रदान की गई सीटों के आवंटन पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त करते हुए कहाः

" यदि हम सीटों के विभाजन को देखते हैं, तो 125 सीटों में से 63 सीटें अखिल भारतीय कोटा में 50 प्रतिशत खर्च हो जाएंगी, जिससे 62 का अवशेष रह जाएगा, जो कि यदि विवरण पत्रिका के निर्धारित मानदंडों को लागू किया जाता है, तो किसी अन्य उम्मीदवार के लिए कोई सीट नहीं बचेगी।

केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के लिए विद्वान वरिष्ठ स्थायी वकील

खंड पी. जी.-8 और पी. जी. 8.1 का उल्लेख करने के लिए यह तर्क देने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया होगी कि बची हुई सीटों को भरने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जहां उम्मीदवारों ने अध्ययन किया है।

चंडीगढ़ 5 साल की अवधि के लिए या चंडीगढ़ के बच्चे

ऐसे व्यक्ति जो कम से कम 5 साल की अवधि के लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में रह रहे हैं या उन व्यक्तियों के बच्चे जिनके पास केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 साल की अवधि के लिए अचल संपत्ति है।

आवेदन जमा करने पर विचार किया जाएगा।

डॉ. तन्वी बहल बनाम। श्रे गोएल और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

यह अपने आप में उस प्राथमिक प्रश्न पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा जिससे हम निपट रहे हैं अर्थात 100% संस्थागत वरीयता है। वास्तव में, ऐसा लगता है कि गड़बड़ी वरीयता की शर्तों को निर्धारित करने में नहीं की गई है, बल्कि गणना पर एक व्याख्या करके की गई है

सीटों को ध्यान में रखते हुए संस्थागत वरीयता। विवरण-पत्र में कहा गया है कि कुल सीटों में से 50 प्रतिशत के पास

के छात्रों के लिए संस्थागत वरीयता के लिए आरक्षित किया गया था

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का चिकित्सा संस्थान "। कुल संख्या संस्थागत वरीयता के इस निर्धारण के लिए ली गई सीटें

सीटें 125 हैं, जो हमारे अनुसार, इस साधारण कारण से गलत होगी कि केंद्र शासित प्रदेश के पूल को आवंटित 125 सीटों में से 50 प्रतिशत यानी 63 सीटें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पूल की कक्षा से बाहर कर दी जाएंगी, जैसे ही वे अखिल भारतीय कोटा में खपत होती हैं और कॉलेज के लिए केवल 62 सीटें बची हैं। इसलिए, सीटों की कुल संख्या

संस्थागत वरीयता अवशिष्ट होती है जो इसके अंतर्गत आती है

अखिल भारतीय कोटा के बाद संस्था का उपभोग किया जाता है। इस प्रकार यह

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दी गई व्याख्या

वस्तुतः विचार की प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा

अन्य उम्मीदवार जो इस क्षेत्र से हो सकते हैं, योग्यता में उच्च हो सकते हैं लेकिन बाहर हो सकते हैं।

योग्यता के आकस्मिक होने से बचने के लिए यह निष्पक्षता होगी कि 50 प्रतिशत संस्थागत वरीयता को सीमित किया जाए।

62 संस्थान के हिस्से में आने वाली सीटें

शेष 50 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटे में खर्च किया गया है।

8.4 . दिलचस्प बात यह है कि उच्च न्यायालय ने, भले ही आदेश के पहले भाग में एक सरसरी बयान दिया था कि चंडीगढ़ के साथ संपर्क रखने वाले उम्मीदवार के लिए तरजीही व्यवहार के रूप में दूसरे मुद्दे को फैलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय ने केवल निवास के आधार पर वरीयता या भार को नहीं हटाया है, आदेश के बाद के भाग में कहा कि चंडीगढ़ के लिए उम्मीदवार के जीई पर सवाल नहीं उठाया गया था और इसलिए,घ न्यायालयसँ कोनो टिप्पणी नहि मंगबैत अछि। इन टिप्पणियों के साथ, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला और निम्नानुसार निर्णय दियाः

" क्लॉज पीजी-8 या पीजी पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया है।

8.1 जहाँ उम्मीदवार चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं या तो अपने माता-पिता की शिक्षा या नियुक्ति के माध्यम से या [2019] 14 एस. सी. आर.

संपत्ति, और इसलिए, इसे हमसे कोई टिप्पणी आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि कुल 125 सीटों की प्रयोज्यता के साथ संस्थागत वरीयता की व्याख्या के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हुई है जो मनमानेपन और परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इस प्रकार हम इस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के रुख को गलत मानेंगे। संस्थागत वरीयता के सिद्धांत को बरकरार रखते हुए हम निर्देश देंगे कि यह अखिल भारतीय कोटा के 50 प्रतिशत की खपत के बाद संस्थान के लिए उपलब्ध 50 प्रतिशत सीटों से संबंधित होगा और इस तरह की गणना पर अन्य योग्य लोगों के लिए सीटें खोल दी जाएंगी।

इच्छुक उम्मीदवार।

व्यक्तिगत उम्मीदवारों और उनकी पात्रता के बारे में मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन हमारी राय है कि ये मामले परामर्श के प्रभारी समिति पर छोड़ दिए गए हैं

जाँच करने के लिए।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सेक्टर 32, चंडीगढ़ को उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से परामर्श आयोजित करने का निर्देश देते हैं।

8.5 . उपरोक्त आदेश से व्यथित, अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए एक याचिका, जो 2018 की एसएलपी (सी) संख्या 13562 थी, इस न्यायालय में दायर की गई थी, लेकिन इसे 24.05.2018 पर सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था।

शैक्षणिक वर्ष 2019-20

9. डॉ. चाहत भाटिया (उपरोक्त) के मामले में उपरोक्त निर्णय के बाद मेडिकल कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 2019 के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 16.03.2019 पर विवरण पुस्तिका जारी की।

20 यह बताते हुए कि सीटों की कुल संख्या 128 थी, जिन्हें समान रूप से अखिल भारतीय कोटा और राज्य कोटा में विभाजित किया गया था, जैसा कि विवरण पत्रिका के खंड 1 और खंड 2 में निर्धारित किया गया था। हाथ में मामले के लिए अधिक विशिष्ट, खंड 2 ने समझाया कि राज्य कोटा को आगे खंड 2 ए (संस्थागत वरीयता पूल) और खंड 2 बी (यूटी चंडीगढ़ पूल) में विभाजित किया गया था। यह खंड 2 बी यहाँ विवाद का मूल है। तैयार संदर्भ के लिए, राज्य कोटा सीटों से संबंधित संपूर्ण खंड 2 हो सकता हैः

निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किया गयाः

" 2. राज्य कोटाः 64 सीटें। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में, 50 %
राज्य कोटा सीटें इस प्रकार हैंः

डॉ. तन्वी बहल बनाम। श्रे गोएल और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

आरक्षित (एससी)

की कुल संख्या

श्रेणी

जनरल

15 %

सीटें

5

संस्थागत

32

2

7

वरीयता पूल (आईपी)

2

7

यूटी, चंडीगढ़ पूल

32

5

कुल

5

4

64

10

मानदंड निम्नानुसार हैं: इस श्रेणी में चंडीगढ़ की पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार शामिल होंगे। इस श्रेणी के लिए पात्र होनाउम्मीदवार को निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड को पूरा करना चाहिए:

आई. केंद्र शासित प्रदेश में 5 साल की अवधि के लिए अध्ययन किया

अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय चंडीगढ़ का आवेदन जमा करना।

ii. उम्मीदवार जिनके माता-पिता संघ में रहते हैं

आवेदन या तो किसी पेशे की खोज में या एक नौकरी पकड़ें।

iii. उन व्यक्तियों के बच्चे जिन्होंने अचल संपत्ति रखी है/रखी है

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में एक के लिए संपत्ति अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय पाँच वर्ष की अवधि

आवेदन जमा करना। संपत्ति.

माता-पिता या उम्मीदवार के नाम पर होना चाहिए स्वयं/स्वयं।

महत्वपूर्ण नोटः

ए) बी (आई) के तहत यूटी चंडीगढ़ पूल के लिए पात्र होने के लिए,

उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा

क्षेत्र के भीतर स्थित स्कूल/कॉलेज के प्राचार्य यू. टी. चंडीगढ़।

बी) बी (ii) के तहत पात्र होने के लिए, उम्मीदवार को प्रस्तुत करना चाहिए

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के डी. सी. द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र

प्रभाव कि उम्मीदवार या उसके माता-पिता [2019] 14 एस. सी. आर. रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चंडीगढ़ में कम से कम 5 वर्षों से रह रहा है/रह रहा है।

वर्षों से।

ग) बी (iii) के तहत पात्र होने के लिए, उम्मीदवार को प्रस्तुत करना होगा।

डी. सी.-सह-संपदा अधिकारी/तहसीलदार द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र जिसमें कहा गया हो कि उम्मीदवार/उसके माता-पिता

केंद्र शासित प्रदेश में अचल संपत्ति रखते हैं/रखते हैं

चंडीगढ़ से पहले कम से कम 5 साल के लिए

आवेदन जमा करना।

उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती-दिनांक 23.04.2019 का विवादित आदेश

10. निजी उत्तरदाताओं (रिट याचिकाकर्ताओं) ने चुनौती दी

2019 (ओ एंड एम) के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8234 में विवरण पत्रिका के उपरोक्त खंड 2 बी की वैधता और वैधताः श्रेय गोयल और ओआरएस वी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्र। पंजाब उच्च न्यायालय के समक्ष

और हरियाणा। इस याचिका के निपटारे के लिए, एक और रिट याचिका,

2019 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 9565 (ओ. एंड. एम.): श्वेता संधू और ओआरएस

वी. केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्र। विवरण पत्रिका के उक्त खंड 2 बी के समान चुनौती के साथ अन्य उम्मीदवारों द्वारा 05.04.2019 पर दायर किया गया था। इसके अलावा, इसी तरह से पीड़ित उम्मीदवारों ने विभिन्न आवेदन दायर किए

उक्त याचिकाओं में भ्रामक आवेदन। अपने दिनांकित 12.04.2019 आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने ऐसे आवेदनों की अनुमति दी और आवेदकों को प्रतिवादी संख्या के रूप में शामिल किया गया। 13 उक्त याचिकाओं के लिए 22 तक।

10.1 . उक्त रिट याचिकाओं को एक साथ टैग किया गया था और उच्च न्यायालय ने

अदालत ने अपने सामान्य आदेश दिनांक 23.04.2019 द्वारा मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी विवरण पत्रिका के विवादित खंडों को खारिज कर दिया। द हाई

न्यायालय ने मामले में शामिल मुद्दे पर निम्नलिखित रूप में ध्यान दियाः

" हमारे सामने जो छोटा सवाल उठाया गया है, वह यह है कि क्या

विवरणिका का उपरोक्त निकाला गया खंड इस प्रकार है कि

किसी व्यक्ति के निवास को प्रधानता और जोर देता है और

योग्यता में रियायत देने के लिए एक शहर के साथ संबंध, में है

माननीय के विभिन्न निर्णयों के साथ सीधा टकराव

उच्चतम न्यायालय जैसे डॉ. प्रदीप जैन आदि। बनाम संघ

भारत और अन्य ने 1984 ए. आई. आर. (एस. सी.) 1420 के रूप में रिपोर्ट किया और

सौरभ चौधरी और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (2003) 11 एस. सी. सी. 146 के रूप में रिपोर्ट किया गया है या नहीं? डॉ.

तन्वी बहल बनाम। श्रे गोएल और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

जैन और ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस। : (1984) 3 एस. सी. सी. 654 और सौरभ चौधरी (ऊपर) में संविधान पीठ के फैसले के पैराग्राफ 29 से 32 में आने वाले तथ्य के साथ-साथ यह भी कि केवल डॉ. चाहत भाटिया (उपरोक्त) में संस्थागत वरीयता तय की गई थी और अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण का सवाल नहीं उठाया गया था। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने विवरण-पत्र के आक्षेपित खंड 2 बी में आने वाली तीन शर्तों पर विचार करने के लिए आगे बढ़े (जैसा कि ऊपर देखा गया है) और निम्नानुसार टिप्पणी करते हुए उन्हें अस्वीकार कर दिया:

" तर्क का परीक्षण करने के लिए, हम तीनों को चुनेंगे।

एक-एक करके शर्तें।

यदि हम शर्त (ए) को देखें कि किसी व्यक्ति को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में 5 साल तक अध्ययन किया होना चाहिए, तो

यह दो व्याख्याओं का पालन करने में सक्षम है:

(i) यदि इस श्रेणी में वरीयता दी जाती है तो इससे संस्थागत वरीयता के लिए आरक्षण बढ़ेगा। एक होना चाहिए

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के बारे में बात कर रहे हैं और यदि कोई छात्र है जिसने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में 5 साल की पढ़ाई की है, तो वह निश्चित रूप से इस पर निर्भर करेगा।

उन लोगों का पक्ष जिन्होंने अपनी एमबीबीएस डिग्री के लिए अध्ययन किया है

यूटी, चंडीगढ़। चूँकि वहाँ केवल एक कॉलेज है

चंडीगढ़, इस तरह के एक खंड से प्रवाहित लाभ होगा

संस्थागत वरीयता के साथ विलय, जिससे

संस्थागत वरीयता के लिए 50 प्रतिशत की सीमा द्वारा प्रदान की गई शेष राशि को बाधित करना। इसलिए यह खंड अंतर्निहित खतरों से भरा हुआ है।

दूसरी स्थिति यह होगी कि किसी उम्मीदवार ने इससे पहले किसी भी समय केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में 5 साल तक अध्ययन किया होगा।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जिसका अर्थ किंडरगार्डन से कक्षा V तक या उस उद्देश्य के लिए किसी अन्य अवधि के लिए अध्ययन करना भी होगा। यह शायद ही स्नातकोत्तर के लिए सीट का दावा करने के तर्क को कोई तर्क प्रदान करेगा।

यूटी, चंडीगढ़ पूल के तहत पाठ्यक्रम।

इसी तरह, खंड (बी) उन लोगों के लिए एक पात्रता पढ़ता है जिनके

माता-पिता 5 वर्ष की अवधि से केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में रह रहे हैं।

जमा करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय वर्ष

आवेदन का या तो किसी पेशे की खोज में या

एक नौकरी पकड़ें। यह भी कोई तर्क नहीं देता है

इसे इस साधारण कारण से वरीयता में परिवर्तित करें कि

हो सकता है कि व्यक्ति कुछ समय के लिए चंडीगढ़ में बस गया हो 5 साल की अवधि और फिर चला गया। अगर हम किसी व्यक्ति के आने की स्थिति की कल्पना करते हैं तो इसकी बेतुकी बात सामने आती है।

चंडीगढ़ में संभवतः उस समय जब यह आ रहा था

1950 के दशक में और केवल 5 साल बिताने के बाद चले गए 60 वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद वापसी और एक का दावा करें

चूंकि उन्होंने किसी समय चंडीगढ़ में 5 साल बिताए थे और इस शहर के निवासी होने की शर्त को पूरा करते हैं

" प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय आवेदन "।

इसी तरह, खंड (सी) भी इसी तरह की बेतुकी स्थिति प्रदान करता है।

वहाँ एक मामला है जहाँ एक व्यक्ति ने निवेश किया है

संपत्ति, किसी भी समय हो सकती है, लेकिन इसे छोड़ने का विकल्प चुनना, और फिर भी जमा करने के अंतिम समय से पहले किसी भी समय 5 साल की अवधि के लिए संपत्ति के मालिक होने के खंड को पूरा करना।

आवेदन "।

10.3 . इसके बाद, उच्च न्यायालय ने सौरभ चौधरी के मामले और डॉ. प्रदीप जैन के मामले में उपरोक्त कथनों के संदर्भ में,

वेद कि इसके साथ आक्षेपित शर्तों का कोई संबंध नहीं था

उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई अर्थात, आधार के आधार पर आरक्षण करना; और इस तरह के आरक्षण पर आपत्ति की जानी चाहिए, प्रवेश के लिए ई. पी. जी. चिकित्सा पाठ्यक्रम केवल योग्यता के आधार पर होने चाहिए। द.

न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित और निष्कर्ष निकालाः

" अतः हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि जिन मामलों में

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश जैसे कि आरक्षण /

वरीयता जिसकी नींव लंबे समय से त्याग दी गई है

सिद्धांत अर्थात अधिवास अस्थिर होगा। इसके अलावा, सभी

जिन खंडों को विवरणिका में प्रस्तुत किया गया है और

पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार का वर्णन करने के लिए चर्चा की गई

चंडीगढ़ कानून की दृष्टि से अस्थिर होगा क्योंकि उनके पास कोई डी. आर. नहीं है।

तन्वी बहल बनाम। श्रे गोएल और ओआरएस।

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं के लिए तर्क, भले ही हम

यह मान लेना होगा कि इस तरह की वरीयता कानून में अनुमत थी।

इसलिए हम केंद्र शासित प्रदेश के खंड 2 (ए), (बी) और (सी) को निरस्त करते हैं।

चंडीगढ़ पूल को अवैध और कानून में अस्थिर माना जाता है।

उपरोक्त पर निर्भरता रखते हुए किए गए सभी प्रवेश

एक तार्किक परिणाम के रूप में भी अस्थिर होना चाहिए। एकमात्र कोर्स

कॉलेज के लिए उपलब्ध योग्यता के माध्यम से सीटें भरने के लिए है

एन. ई. ई. टी. परीक्षाओं में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त स्थिति।

} }

प्रस्तुतियाँः

11. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने कहा है कि

उनकी चुनौती के समर्थन में कम या ज्यादा समान प्रकृति प्रस्तुतियाँ

विवादित आदेश जिसका विद्वान वकील द्वारा प्रतिवाद किया गया है

प्रतियोगी उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित होना। भारतीय चिकित्सा परिषद की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने परीक्षा की योजना और विचाराधीन प्रवेश के संबंध में और इस न्यायालय के विभिन्न प्रश्नों के जवाब में भी विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं। हम संक्षेप में कह सकते हैं इस प्रकार आग्रह किए गए विभिन्न प्रस्तुतियों और तर्कों पर ध्यान दें।

11.1 . निजी की ओर से प्रस्तुतियों का सार

अपीलकर्ता, जिन उम्मीदवारों ने उक्त मेडिकल कॉलेज में पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों की संबंधित शाखाओं में प्रवेश प्राप्त किया था, उनका कहना है कि उच्च न्यायालय ने गलती से अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण को पीजी मेडिकल में प्रवेश के लिए अनुज्ञेय नहीं माना है

पाठ्यक्रम। संबंधित अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

उन्होंने तर्क दिया है कि जब डॉ. प्रदीप जैन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अधिवास के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है।

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निवास-आधारित आरक्षण, सौरभ चौधरी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने नहीं दिया है इस तरह के अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण को अस्वीकार कर दिया। विद्वान।

वकीलों ने अपनी दलीलों के समर्थन में सौरभ चौधरी (ऊपर) में निर्णय के पैराग्राफ 29 से 32 का विशेष रूप से उल्लेख किया है और यह भी आग्रह किया है कि सौरभ चौधरी के मामले में पैराग्राफ 38 से 70 में, संविधान पीठ ने केवल संस्थागत वरीयता की संवैधानिक वैधता पर विचार किया है और उस संदर्भ में डॉ. प्रदीप जैन में निर्धारित कानून को बरकरार रखा गया था, लेकिन सौरभ चौधरी में उक्त निर्णय

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अधिवास/निवास-आधारित वरीयता की अस्वीकृति के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है और कोई [2019] 14 एस. सी. आर. नहीं है।

और उच्च न्यायालय ने इसे मनमाना और गैरकानूनी मानने में गंभीर गलती की है। इन अपीलार्थियों की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए किए गए प्रवेशों को दरकिनार नहीं कर सकता था। विशेष रूप से जब उम्मीदवारों की परामर्श प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो और

वास्तव में, पहले से दिए गए प्रवेश को अलग करने के लिए कोई विशिष्ट प्रार्थना नहीं थी। प्रस्तुतियों के वैकल्पिक भाग में, यह भी किया गया है

2019 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 1141 से उत्पन्न अपील में तर्क दिया गया है कि निवास/निवास के आधार पर आरक्षण का यह पहलू

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर पुनर्विचार करने और इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता है।

11.2 . अन्य अपीलार्थियों-केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और मेडिकल कॉलेज की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी व्यापक रूप से उल्लेख किया है।

इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के निर्णय पर भी

डॉ. चाहत भाटिया (ऊपर) में और प्रस्तुत किया है कि शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 तक, ये अपीलार्थी कुल संख्या को भर रहे थे केंद्र शासित प्रदेश में उपलब्ध स्नातकोत्तर सीटों को दो भागों में विभाजित करके: 50 % अपीलार्थी-मेडिकल कॉलेज से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से अखिल भारतीय कोटा के लिए सीटों की कुल संख्या और संस्थागत वरीयता के रूप में शेष 50 प्रतिशत। हालाँकि, इस प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय ने डॉ.

चाहत भाटिया (ऊपर) ने फैसला सुनाया कि संस्थागत प्राथमिकता बनी रहेगी

राज्य कोटा सीटों के 50 प्रतिशत तक सीमित। विद्वान वकील के अनुसार, डॉ. चाहत भाटिया के फैसले और इस तथ्य के मद्देनजर कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में केवल एक मेडिकल कॉलेज है, यह पद उपलब्ध है। यह था कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन संस्थागत वरीयता के माध्यम से भरने के लिए केवल 32 सीटें (राज्य कोटे की 64 सीटों में से 50 प्रतिशत) आरक्षित रख सकता था। इस परिदृश्य में, विद्वान वकील के अनुसार, राज्य कोटे के शेष 50 प्रतिशत के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता थी

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को आवंटित सीटें और इस उद्देश्य के लिए, केंद्र शासित प्रदेश को कुछ मानदंड प्रदान करके ऐसे छात्रों की पहचान करनी थी। इस प्रकार,

विद्वान वकील, शेष राज्य कोटा को भरने के लिए ऐसे मानदंड 7 इसका प्रभावी रूप से मतलब होगा कि कुल खुली सीटों में से 25 प्रतिशत को संस्थान वरीयता के लिए अनुमति दी जाएगी-50 प्रतिशत राज्य कोटा सीटों में से 50 प्रतिशत।

डॉ. तन्वी बहल बनाम। श्रे गोएल और ओआरएस।

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

विवरण पत्रिका के खंड 2 बी में स्थान प्रतिबिंबित हुए; और अपीलार्थियों द्वारा इस प्रकार प्रदान किए गए मानदंड न तो अमान्य हैं और न ही किसी अवैधता से ग्रस्त हैं, ताकि उन्हें निरस्त किया जा सके।

11.2. 1 . विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे इसका उल्लेख किया है

और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी सूचना बुलेटिन के खंड 13.2 और 14.9 का उल्लेख किया है जो राष्ट्रीय परीक्षा का संचालन करता है पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा। 8 इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, राज्य कोटा सीटों के लिए अधिवास/निवास-आधारित वरीयता को मान्यता दी जाती है।

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा भी। विद्वान वकील ने इस दलील को दोहराया है कि सौरभ चौधरी के मामले में,

संविधान पीठ ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण के खिलाफ फैसला नहीं दिया है।

11.2. 2 . विद्वान वकील ने प्रावधानों का भी उल्लेख किया है

विभिन्न अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस उद्देश्य के लिए किया गया राज्य कोटा सीटों को भरना; और इंगित किया है कि न केवल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बल्कि कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने

8 उक्त खंड निम्नानुसार हैं:

13.2 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए-50 प्रतिशत राज्य कोटा सीटें और निजी चिकित्सा

संबंधित राज्य के लिए स्वयं राज्य द्वारा उत्पन्न किया जाएगा लागू विनियम, योग्यता मानदंड, लागू दिशानिर्देश और आरक्षण

नीतियाँ।

लागू विनियमन और/या अधिवास मानदंडों के आधार पर संस्थान पूल, राज्य/स्नातक संस्थान, आरक्षण नीति आदि। केवल दिखाई देता है /

एन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2019 में उत्तीर्ण होने से उम्मीदवार योग्य और/या पात्र नहीं होता है।

राज्य कोटा सीटों/निजी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में प्रवेश के लिए।

{ जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में ऐसी 50 प्रतिशत राज्य कोटा सीटों को भरने के लिए अधिवास/निवास-आधारित वरीयता पर इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं।

' विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का सारांश, जैसा कि अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा हमारे सामने रखा गया है, यह बताता है कि ऐसे सभी प्रवेशों में 50 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटा के लिए प्रदान की जाती हैं, लेकिन 50 प्रतिशत राज्य कोटा सीटों के संबंध में, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। इन पहलुओं की विधिवत पुष्टि ऐसी प्रवेश प्रक्रियाओं के सारांश में की गई है।

विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, जैसा कि भारतीय चिकित्सा परिषद के विद्वान वकील द्वारा हमारे सामने रखा गया है। कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में प्रावधान निम्नानुसार बताए गए हैंः राज्य

आरक्षण

-राज्य 50 प्रतिशत कोटा

हरियाणा 2019

20 % - संस्थागत वरीयता।
5 % वार्षिक स्वीकृत अंतर्ग्रहण क्षमता-विकलांग व्यक्ति। ओपन मेरिट * (सीटें बची हुई हैं)

पात्रता मानदंडः
-हरियाणा में किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से एमबीबीएस/बीडीएस उत्तीर्ण

हरियाणा के निवासी।

भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से एमबीबीएस/बीडीएस उत्तीर्ण जो

माता-पिता हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं।

पंजाब 2018

बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (बी. एफ. यू. एच. एस.) के माध्यम से राज्य 50 प्रतिशत कोटा

50 % -संस्थागत वरीयता

-राज्य 50 प्रतिशत कोटा

आंध्र प्रदेश

85 % स्थानीय क्षेत्रों के संबंध में स्थानीय उम्मीदवारों के पक्ष में सीटें।

2019-2020

15 % 10 वर्ष के निवासियों/सरकारी नौकरी में कार्यरत माता-पिता के लिए सीटें। राज्य में नौकरियां/यदि उम्मीदवारों के पति/पत्नी सरकारी नौकरी में हैं। राज्य में नौकरियां/अर्ध सार्वजनिक संस्थानों में कार्यरत।

-50 % निजी संस्थानों में सीटों की संख्या सक्षम प्राधिकारी के अधीन है।
-राज्य 50 प्रतिशत क्वोटा

महाराष्ट्र

- राज्य के अधिवासी उम्मीदवार जिन्होंने 15 प्रतिशत ए. आई. क्यू. के माध्यम से एम. बी. बी. एस. में प्रवेश प्राप्त किया है

2019

प्रवेश राज्य कोटा सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
-50 % निजी संस्थानों में सीटों की संख्या राज्य सी. ई. टी. प्रकोष्ठ कोटे के तहत है/शेष 50 प्रतिशत संस्थागत वरीयता के माध्यम से हैं।

-राज्य 50 प्रतिशत कोटा

बिहार 2018

- राज्य के अधिवासी उम्मीदवार जिन्होंने ए. आई. क्यू/सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से एम. बी. बी. एस. में प्रवेश प्राप्त किया है। राज्य के विभाजन से पहले बिहार राज्य कोटा सीटों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है।

- उम्मीदवार जो बिहार का स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन जिसने बिहार से एमबीबीएस पास किया है।

बिहार का कोई भी मेडिकल कॉलेज।

एससी/एसटी/ईबीसी/बीसी/आरसीजी/डीक्यू स्थायी के लिए कुल सीटों का 50 प्रतिशत आरक्षण

बिहार के निवासी

-राज्य 50 प्रतिशत कोटा

कर्नाटक 2019

-कर्नाटक राज्य के किसी संस्थान से एमबीबीएस/बीडीएस पास किया हो।

-भारत के किसी संस्थान से एमबीबीएस/बीडीएस पास किया हो और कर्नाटक में कम से कम 10 शैक्षणिक वर्षों तक अध्ययन किया हो और कर्नाटक से उच्च माध्यमिक पूरा किया हो।

-राज्य 50 प्रतिशत कोटा

राजस्थान 2019

-25 % संस्थागत वरीयता के लिए आरक्षित -25 % उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित जिन्होंने चिकित्सा संस्थानों से एमबीबीएस पास किया है

राजस्थान

उत्तर प्रदेश,

-राज्य 50 प्रतिशत कोटा -मेडिकल संस्थानों से एमबीबीएस पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें

2019

यूपी।

-राज्य के अधिवासी उम्मीदवार जिन्होंने बाहर के एमबीबीएस कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त किया है

ए. आई. क्यू. के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य कोटा सीटों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है।

-राज्य 50 प्रतिशत कोटा

पुडुचेरी, 2019

-सभी सरकारी। कोटा सीटें पुडुचेरी के निवासियों के लिए आरक्षित हैं।

2020 दिल्ली, 2019

-राज्य 50 प्रतिशत कोटा

50 % दिल्ली विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संकाय को आवंटित सीटें। 50 % गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को आवंटित सीटें।

डॉ. तन्वी बहल बनाम। श्रे गोएल और ओआरएस।

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

12. इसके विपरीत, निजी उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील

(रिट याचिकाकर्ताओं) ने डॉ. प्रदीप जैन और सौरभ चौधरी में इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का व्यापक रूप से उल्लेख किया है और आगे जगदीश सरन बनाम में निर्णयों पर भरोसा किया। भारत संघः (1980) 2 एस. सी. सी. 768; मगन मेहरोत्रा बनाम। यूओआईः (2003) 11 एस. सी. सी. 186; निखिल हिम्मथानी और अन्य। वी. उत्तराखंड राज्य और अन्य। : (2013) 10 एस. सी. सी. 237; विशाल गोयल और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। : (2014) 11 एस. सी. सी. 456; डॉ. कृति लखिना बनाम। कर्नाटक राज्यः 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 324 और सत्यव्रत साहू और अन्य। वी. उड़ीसा राज्यः (2012) 8 एससीसी 203। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि उक्त निर्णयों के अनुसार, ये उत्तरदाता, अपना M.B.B.S. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर चुके हैं और 'संस्थागत कोटा' के तहत आवेदन कर चुके हैं, जो उक्त कोटे के तहत स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के हकदार हैं।

संस्थागत वरीयता लेकिन उसी से वंचित हैं क्योंकि

मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रदान किया गया विवादित अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि वर्तमान मामलों में शामिल मुद्दा अब एकीकृत नहीं है क्योंकि जन्म स्थान और/या निवास/अधिवास के आधार पर स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में आरक्षण दिया गया है।

-राज्य 50 प्रतिशत कोटा (केवल एक विश्वविद्यालय) (प्रेस नोट)

गोवा, 2019

-राज्य 50 प्रतिशत कोटा

केरल, 2019

383 पी. जी. डिग्री पाठ्यक्रमों में सीटें 79 सरकारी चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सीटें

महाविद्यालय

8 आर. सी. सी., त्रिवेंद्रम में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए सीटें

-योग्यताः

शैक्षणिक आवेदकों के पास मान्यता प्राप्त एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए

एमसीआई

जन्म स्थानः आवेदकों को निम्नलिखित में से किसी एक को संतुष्ट करना चाहिएः

- केरल मूल के भारतीय नागरिक। ऐसे उम्मीदवार जो गैर-केरल माता-पिता के बेटे/बेटियां हैं, जिन्होंने किसी भी चिकित्सा संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की है।

केरल राज्य में महाविद्यालय।

-राज्य 50 प्रतिशत कोटा

तेलंगाना, 2019

85 % स्थानीय क्षेत्रों के संबंध में स्थानीय उम्मीदवारों के पक्ष में सीटें। (जैसा कि आंध्र प्रदेश शैक्षिक संस्थान आदेश में प्रदान किया गया है,

1974 समय-समय पर संशोधित)

गैर-स्थानीय उम्मीदवारों के पास कोई आरक्षण नहीं है। गैर-स्थानीय उम्मीदवार केवल 15 प्रतिशत अनारक्षित सीटों के लिए पात्र हैं। स्थानीय उम्मीदवार भी 15 प्रतिशत अनारक्षित सीटों के लिए पात्र हैं। पश्चिम बंगाल।-राज्य 50 प्रतिशत कोटा या मुक्त श्रेणी के उम्मीदवार

2019

डब्ल्यू. बी. से एमबीबीएस/बी. डी. एस. उत्तीर्ण। डब्ल्यू. बी. का स्थायी निवासी

-राज्य 50 प्रतिशत कोटा

झारखंड 2019

- राज्य के अधिवासी उम्मीदवार जिन्होंने ए. आई. क्यू/सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से एम. बी. बी. एस. में प्रवेश प्राप्त किया है। 2000 में राज्य के विभाजन से पहले बिहार राज्य कोटा सीटों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है।

उम्मीदवार जिन्होंने किसी भी मेडिकल कॉलेज/विश्वविद्यालय से एमबीबीएस उत्तीर्ण किया हो

झारखंड में।

9] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अस्वीकृत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और यह कि विशेष पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर होना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि विवादित आदेश में, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से कहा है कि निर्धारित वर्गीकरण का उस उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है, यानी राज्य कोटे की 50 प्रतिशत सीटें आवंटित करना। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि 'अधिवास के आधार पर प्रवेश' से संबंधित मुद्दे के संबंध में, उच्च न्यायालय ने डॉ. चाहत भाटिया में कहा है कि इस प्रथा को बार-बार अस्वीकार किया गया है; और उक्त निर्णय में कहा गया है

अंतिमता प्राप्त की। इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, विवादित आदेश में अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण को उचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है। 13. भारतीय चिकित्सा परिषद के विद्वान वकील ने भी उपरोक्त निर्णयों का व्यापक संदर्भ दिया है, जिनमें शामिल हैं -

डॉ. प्रदीप जैन और सौरभ चौधरी ने प्रस्तुत किया है कि सौरभ चौधरी में इस न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के लिए, 50 प्रतिशत सीटें

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में कुल सीटें अखिल भारतीय कोटा सीटें हैं और इन्हें अखिल भारतीय योग्यता सूची से भरा जाना है। इन अखिल भारतीय सीटों के लिए स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा परामर्श दिया जाता है। सेवाएं और शेष 50 प्रतिशत संबंधित राज्यों को जाता है, जिसके लिए संबंधित राज्य द्वारा परामर्श किया जाता है। विद्वान वकील के अनुसार, इन 50 प्रतिशत राज्य कोटा सीटों को राज्य द्वारा अधिवास/आवासीय आवश्यकता लागू करके नहीं भरा जा सकता है, हालांकि राज्य इन्हें भरने के लिए मानदंड के रूप में संस्थागत वरीयता निर्धारित कर सकता है।

50 % राज्य कोटा सीटें। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विवरण पत्रिका का आक्षेपित खंड 2 बी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और इस न्यायालय के विभिन्न न्यायिक निर्णयों के विपरीत भी है और यह है -

इसलिए, रद्द किया जा सकता है।

13.1 . विद्वान वकील ने संस्थागत वरीयता को लागू करने में 21 राज्यों की नीति को दर्शाने वाला एक चार्ट भी रिकॉर्ड पर रखा है।

संबंधित राज्यों द्वारा प्रकाशित विवरणिका/सूचना बुलेटिन के प्रासंगिक भाग के साथ आरक्षण। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि परिषद द्वारा केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ-साथ आशीष रंजन बनाम मामले में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित समय सारिणी के अनुसार। यूओआई और ओआरएस। : (2016) 11 एस. सी. सी. 225, शैक्षणिक वर्ष शुरू होने की तिथि 01.05.2019 थी और पी. जी. मेडिकल डी. आर. के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि थी।

तन्वी बहल बनाम। श्रे गोएल और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

पाठ्यक्रम 31.05.2019 थे और वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सभी प्रवेश पहले ही पूरे कर लिए गए थे, जो इस विलंबित चरण में बाधित नहीं हो सकते हैं। 13.2 . चिकित्सा परिषद के विद्वान वकील ने अंतिम रूप से प्रस्तुत किया कि यदि प्रवेश रद्द किए जाने हैं, तो केवल उन छात्रों के संबंध में मैनुअल परामर्श का आदेश दिया जा सकता है जिनके पास है

किसी अन्य कॉलेज में शामिल नहीं हुआ और प्रवेश नहीं लिया क्योंकि कोई अन्य प्रस्ताव संबंधित में अध्ययन की पूरी प्रक्रिया को बाधित कर सकता है।

पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम।

14. इस मोड़ पर, यह भी ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि इन मामलों की सुनवाई के दौरान, विद्वानों द्वारा यह इंगित किया गया था

पक्षकारों के वकील ने कहा कि संस्थागत वरीयता के संबंध में प्रश्न यतिनकुमार जसुभाई पटेल और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। गुजरात राज्य और

अन्यः 2017 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 7003। हालाँकि, यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि इन मामलों में निर्णय लंबित रहने के बावजूद, उक्त संदर्भित मामले और संबंधित मामलों का निर्णय इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संस्थागत वरीयता को बरकरार रखते हुए किया गया था। संबंधित प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हम बाद में उचित स्तर पर उक्त निर्णय का उल्लेख करेंगे।

क्या अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण पूरी तरह से अस्वीकार्य है? 15. जैसा कि देखा गया है, यहां निर्धारण की मांग करने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण का प्रावधान संवैधानिक रूप से अमान्य है और है

अस्वीकार्य। इस न्यायालय के कई निर्णयों को विवादित आदेश के समर्थन में प्रतिवादियों के लिए विद्वान वकील द्वारा संदर्भित किया गया है।

उच्च न्यायालय की ओर से और इस तर्क के समर्थन में कि ऐसा प्रिस्क्रिप्शन संवैधानिक रूप से अमान्य है। हमारे विचार में, राज्य कोटा सीटों के संबंध में अधिवास/निवास आधारित आरक्षण की अयोग्यता पर प्रस्तुतियाँ और यह धारणा कि इस तरह के प्रस्ताव को बहुत पहले खारिज कर दिया गया है (उच्च न्यायालय द्वारा नियोजित अभिव्यक्ति के अनुसार) इस मुद्दे के महत्व को देखते हुए इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ द्वारा जांच की जानी चाहिए, जो कि किसी न किसी कारण से प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में पुनरावृत्ति का है; और विशेष रूप से जब विभिन्न पीठों द्वारा अलग-अलग विचार व्यक्त किए गए हैं, जिनके साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा [2019] 14 एस. सी. आर. में की गई टिप्पणियां।

सौरभ चौधरी का मामला। इसलिए, हम आवश्यक विवरणों में सौरभ चौधरी के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं।

16. यह लाभप्रद रूप से देखा जा सकता है कि घोषणा से पहले

सौरभ चौधरी में संविधान पीठ द्वारा, इस न्यायालय ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में योग्यता-आधारित प्रवेश की वांछनीयता व्यक्त की गई; और इस न्यायालय द्वारा जगदीश सरन, डॉ. प्रदीप जैसे कई निर्णयों में ऐसी प्रवेश प्रक्रिया के कई पहलुओं पर विचार किया गया था।

जैन के साथ-साथ मगन मेहरोत्रा (ऊपर) में भी। वास्तव में, सौरभ चौधरी के मामले में संविधान पीठ का संदर्भ मगन मेहरोत्रा के मामले की अगली कड़ी में था क्योंकि मगन मेहरोत्रा में इस अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि संस्थागत वरीयता के अलावा, आरक्षण सहित कोई अन्य प्राथमिकता नहीं है।

डॉ. प्रदीप जैन के निर्णय को देखते हुए निवास की परिकल्पना की गई थी। हालांकि, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संस्थागत वरीयता के लिए अधिसूचना जारी की गई थी।

दिल्ली के निवासी होने का दावा करने वाले अपीलार्थियों ने उनसे पूछताछ की। इस चुनौती में; इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने मगन मेहरोत्रा में निर्णय को ध्यान में रखते हुए मामले को तीन-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा; और तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को इसके महत्व को देखते हुए पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया। इसमें

पृष्ठभूमि में, सौरभ चौधरी के संदर्भ पर विचार करते हुए संविधान पीठ ने निम्नलिखित में निर्धारित किए जा रहे दो प्रश्नों का संकेत दियाः

" 2. इन रिट याचिकाओं में शामिल मुख्य प्रश्न और

की संवैधानिक वैधता के आसपास अपील केंद्र

आरक्षण चाहे अधिवास या संस्थान पर आधारित हो

में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश का मामला

सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज।

***

***

***

10. वह प्रश्न जो शुरू में रिट याचिका में उठाया गया था यह था कि क्या संस्थागत रूप से आरक्षण दिया गया था

वरीयता संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अधिकार से बाहर है

भारत का; लेकिन एक बड़े मुद्दे की सुनवाई के दौरान। जिसके बारे में कोई भी आरक्षण, चाहे वह निवास या संस्थागत वरीयता पर हो,

संवैधानिक रूप से अनुमत है, जिसे बार में उठाया गया था।

16.1 . पहला सवाल यह है कि क्या आधार पर आरक्षण

अधिवास की अनुमति नहीं है, जिसका संविधान पीठ द्वारा निम्नलिखित परिच्छेदों में जवाब दिया गया और निपटाया गयाः

डॉ. तन्वी बहल बनाम। श्रे गोएल और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

" 29. विचार के लिए पहला सवाल यह है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (1) के संदर्भ में अधिवास के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है। "जन्म स्थान" शब्द अनुच्छेद 15 के खंड (1) में आता है लेकिन "अधिवास" में नहीं। यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (1) और अनुच्छेद 16 (2) के बीच तुलना की जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जहां पहला केवल "जन्म स्थान" को संदर्भित करता है, वहीं दूसरा "अधिवास" और दोनों को संदर्भित करता है।

और श्री नरीमन द्वारा पीछा किया गया कि दोनों अभिव्यक्तियाँ संविधान के कुछ सदस्यों के पर्यायवाची प्रतीत होती हैं सभा लेकिन वही, हमारी राय में, एक मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकता है। डी. पी. जोशी के मामले में एक संविधान पीठ ने ऐसा कोई अनिश्चित निर्णय नहीं दिया।

शर्तें।

30. यह पीठ उक्त निर्णय से बाध्य है। 31. यू. पी. राज्य बनाम प्रदीप टंडन ने इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः (एस. सी. सी पी. 277, पैरा 29)

" 29. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षण इस आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक और सामाजिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं।

नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। यह ऐसा प्रतीत होता है कि आरक्षण बहुमत के लिए किया गया है।

राज्य की जनसंख्या। राज्य की अस्सी प्रतिशत आबादी सजातीय वर्ग नहीं हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षण का समर्थन करने के लिए वर्गीकरण का आधार नहीं हो सकती है। भारत के सभी हिस्सों में गरीबी पाई जाती है। सीटों के आरक्षण के निर्देशों में यह कहा गया है

बशर्ते कि आवेदन पत्र में एक उम्मीदवार के लिए

ग्रामीण क्षेत्रों से आरक्षित सीटों को एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा

उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को, जिसे वह

वह था कि वह ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुआ था और एक था

वहाँ स्थायी घर है, और वहाँ रह रहा है या कि वह भारत में पैदा हुआ था और उसके माता-पिता और अभिभावक अभी भी वहाँ रह रहे हैं और वहाँ अपनी आजीविका कमा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म की घटना को मूल योग्यता बनाया जाता है। नहीं।

जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करेगा। ”

9] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

32. अतः उक्त प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। नकारात्मक में। ”

(आपूर्ति को रेखांकित करना)

16.2 . इस प्रकार, संविधान पीठ द्वारा इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है -

क्या अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण अस्वीकार्य है, यह एक स्पष्ट और संक्षिप्त नकारात्मक में था। दूसरे शब्दों में, जवाब अनुमति पर सकारात्मक था। संविधान पीठ द्वारा इस तरह के उत्तर के आधार को समझने के लिए, सौरभ चौधरी में उपरोक्त पैराग्राफ 29 और 31 में निर्दिष्ट दो निर्णयों पर बारीकी से विचार करना उचित होगा।

16.3 . यू. पी. राज्य के मामले में v. प्रदीप टंडन 1 0 (संदर्भित)

सौरभ चौधरी) के उपरोक्त-उद्धृत अनुच्छेद 31 में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीश पीठ के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न उठा था, वह यह था कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तराखंड के उम्मीदवारों के पक्ष में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आरक्षण देने के लिए बनाए गए निर्देश संवैधानिक रूप से मान्य थे। इस न्यायालय ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षण को केवल जन्म स्थान के आधार पर किए जाने की मंजूरी नहीं दी थी और इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन था। हालाँकि, उक्त निर्णय में, पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तराखंड क्षेत्र में लोगों के पक्ष में किए गए आरक्षण को बरकरार रखा गया था, क्योंकि इसे नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए बनाया गया था, विशेष रूप से जब इस न्यायालय ने पाया कि राज्य ने स्थापित किया था कि उन क्षेत्रों में लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के थे।

16.4 . जैसा कि सौरभ चौधरी में देखा गया है, एक संक्षिप्त संदर्भ के बाद

D.P.Joshi v में निर्णय के लिए। एम. पी. राज्य "इस न्यायालय ने दोहराया कि" अधिवास "की अवधारणा" जन्म स्थान "की अवधारणा के बराबर नहीं थी; और भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (1) में निहित निषेध केवल "जन्म स्थान" के आधार पर किसी भी भेदभाव से संबंधित है। D.P.Joshi में उक्त निर्णय इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका में दिया गया था, जिसे संबंधित शर्त पर सवाल उठाते हुए दायर किया गया था।

मध्य भारत राज्य द्वारा संचालित इंदौर में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज द्वारा की गई कैपिटेशन फीस। याचिकाकर्ता, जो दिल्ली का निवासी था और उसे उक्त मेडिकल कॉलेज में एक छात्र के रूप में भर्ती कराया गया था

10 (1975) 1 एस. सी. सी. 267 11 ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 334 डी. आर.

तन्वी बहल बनाम। श्रे गोएल और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

इंदौर में, रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए बुलाया गया था। 1500 / - ट्यूशन शुल्क और सामान्य रूप से उक्त कॉलेज के छात्रों द्वारा देय अन्य शुल्कों के अलावा प्रति वर्ष कैपिटेशन शुल्क के रूप में। याचिकाकर्ता की शिकायत

यह था कि फीस के मामले से संबंधित ऐसे नियम, जो संबंधित कॉलेज में लागू थे, उन छात्रों के बीच भेदभाव के थे जो मध्य भारत के निवासी थे और जो नहीं थे, क्योंकि अन्य राज्यों के निवासियों को सभी छात्रों द्वारा देय ट्यूशन शुल्क और शुल्क के अलावा इस तरह के कैपिटेशन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक था; और ऐसी शर्त संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन कर रही थी।

भारत का संविधान। संविधान पीठ, 4 द्वाराः 1 बहुमत, अस्वीकृत

"अधिवास/निवास" और "जन्म स्थान" की अवधारणाओं में महत्वपूर्ण अंतर की ओर इशारा करते हुए और छात्रों के एक विशेष वर्ग पर कैपिटेशन शुल्क प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं पाए जाने के बाद ऐसी दलीलें। विचाराधीन नियम को निम्नानुसार ध्यान में रखा गया थाः

" 4. " मध्य भारत के प्रामाणिक निवासी सभी छात्रों के लिए कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन अन्य गैर-मध्य भारतीय छात्रों के लिए कैपिटेशन शुल्क वर्तमान में रु। 1,300 नामांकित व्यक्तियों के लिए और रु। 1,500 दूसरों के लिए।

' इस नियम के उद्देश्य के लिए 'प्रामाणिक निवासी' को परिभाषित किया गया था

के रूप में:

" एक जो है -

(क) भारतीय नागरिक जिसका मूल अधिवास मध्य भारत में है, बशर्ते कि उसने कहीं और अधिवास प्राप्त नहीं किया हो, या

(ख) भारत का एक नागरिक, जिसका मूल अधिवास मध्य भारत में नहीं है, लेकिन जिसने मध्य भारत में अधिवास प्राप्त किया है और जिस तारीख को वह प्रवेश के लिए आवेदन करता है, उस तारीख को कम से कम 5 साल तक वहां रहा है।

या

((c) एक व्यक्ति जो पहले पाकिस्तान से आया था।

30 सितंबर, 1948 और मध्य भारत में स्थायी रूप से रहने का इरादा रखता है, या

(घ) [2019] 14 एस. सी. आर. में मध्य भारत या भारत से सटे क्षेत्र या क्षेत्र का कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग या नागरिक।

जिनका या जिनके लिए पात्रता की घोषणा

मध्य भारत सरकार द्वारा बनाया गया है "।

16.4. 1 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (1) को हटाने के बाद,

संस्थापना पीठ ने अवधारणाओं में अंतर पर व्याख्या कीनिम्नलिखित में "निवास" और "जन्म स्थान":

" 5 ..... निवास और जन्म स्थान दो अलग-अलग हैं।

कानून और कानून दोनों में अलग-अलग अर्थों वाली अवधारणाएँ

तथ्य, और जब अनुच्छेद 15 (1) आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करता है

जन्म स्थान पर, इसे निषेध के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है

निवास के आधार पर भेदभाव "।

अदालत ने फिर कहाः

" 6 ..... क्या प्रयोग की गई अभिव्यक्ति "मूल का अधिवास" है या " जन्म का अधिवास ", इसमें शामिल अवधारणा कुछ है

यदि "जन्म का अधिवास" और "जन्म स्थान" नहीं लिया जा सकता है समानार्थी के रूप में, फिर अनुच्छेद 15 (1) में अधिनियमित निषेध

जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लागू नहीं हो सकता है

अधिवास के आधार पर भेदभाव के लिए "।

(आपूर्ति को रेखांकित करना)

16.4. 2 . अदालत ने आगे इस तर्क को खारिज कर दिया कि वहाँ हो सकता है

ई मध्य भारत का एक अधिवास और में भी बल पाया

यह कि संबंधित खंडों में "अधिवास" अभिव्यक्ति थी"निवास" के लिए संदर्भित। अदालत ने कहाः

" 10. संविधान के तहत, कानून बनाने की शक्ति

उत्तराधिकार, विवाह और अल्पमत के तहत प्रदान किया गया है

संघ और संघ दोनों की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 5

राज्य विधानमंडल, और इसलिए यह काफी कल्पना की जा सकती है कि

जब तक केंद्र हस्तक्षेप नहीं करता और इसके लिए एक समान संहिता लागू नहीं करता उन पर पूरे भारत, प्रत्येक राज्य के अपने कानून हो सकते हैं।

विषय, और इस प्रकार के लिए अलग-अलग अधिवास हो सकते हैं

यह तर्क कि मध्य भारत का अधिवास नहीं हो सकता है संविधान के तहत।

11. प्रत्यर्थी की ओर से यह भी आग्रह किया गया कि

नियम में "अधिवास" शब्द का अर्थ इसमें नहीं लगाया जा सकता है

भारत के संविधान की धारा 15 (1) के तहत पढ़ता है:राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से कोई भी "।

डॉ. तन्वी बहल बनाम। श्रे गोएल और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

तकनीकी कानूनी अर्थ में, लेकिन एक लोकप्रिय अर्थ में जिसका अर्थ है "निवास", और वॉर्टन लॉ लेक्सिकन, 14 वें संस्करण, पृष्ठ 344 में निम्नलिखित मार्ग को इस तरह के निर्माण का समर्थन करते हुए उद्धृत किया गया थाः

निवास, या कमोरेंसी, को कभी-कभी उसका कहा जाता है अधिवास "।

मैकमुलन बनाम। वाड्सवर्थः [1889] 14 ए. सी. 631, न्यायिक समिति द्वारा यह देखा गया कि "अनुच्छेद 63 (लोअर कनाडा के नागरिक संहिता के) में अधिवास शब्द का उपयोग निवास के अर्थ में किया गया था, और यह अंतर्राष्ट्रीय अधिवास को संदर्भित नहीं करता था"। जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि क्या

वर्तमान संदर्भ "अधिवास" का उपयोग इस अर्थ में किया गया था कि

निवास। कैपिटेशन शुल्क के भुगतान की आवश्यकता वाला नियम और वहाँ से छूट का प्रावधान केवल बोना को संदर्भित करता है

राज्य के भीतर रहने वाले लोग। कोई संदर्भ नहीं है

नियम में ही अधिवास, लेकिन स्पष्टीकरण में जो

निम्नलिखित, खंड (ए) और (बी) अधिवास को संदर्भित करते हैं, और वे होते हैं

"प्रामाणिक निवासी" की परिभाषा के हिस्से के रूप में।

कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम, खंड 28, पृष्ठ 5 में कहा गया हैः

" प्रामाणिक निवास 'शब्द का अर्थ है निवास के साथ

अधिवास का इरादा "। इसलिए प्रत्यर्थी के तर्क में काफी बल है कि जब नियम बनाने वाले अधिकारियों ने खंड (ए) और (बी) में अधिवास का उल्लेख किया था तो वे वास्तव में निवास के बारे में सोच रहे थे। इस दृष्टिकोण में भी, यह तर्क कि नियम अनुच्छेद 15 (1) के प्रतिकूल है, विफल होना चाहिए।

16.4. 3 . न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि नियम सिंग कैपिटेशन शुल्क संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

विंगः

" 14. इसके बाद याचिकाकर्ता के लिए यह तर्क दिया जाता है कि कुछ छात्रों पर कैपिटेशन शुल्क लगाया जाए न कि दूसरों पर।

यह भेदभावपूर्ण है, और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, और इसलिए अमान्य है। विवादित नियम, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, स्व-नामांकित व्यक्तियों को दो समूहों में विभाजित करता है, वे जो मध्य भारत के प्रामाणिक निवासी हैं और वे जो [2019] 14 एस. सी. आर.

निर्णय के लिए एकमात्र बिंदु यह है कि क्या आधार वर्गीकरण का एक उचित और महत्वपूर्ण संबंध है

कानून का उद्देश्य, या क्या यह विशुद्ध रूप से मनमाना है और

कल्पनाशील।

15. विवादित नियम में अंतर्निहित वर्गीकरण का उद्देश्य स्पष्ट रूप से कुछ हद तक उन छात्रों की मदद करना था जो

उनके अभियोजन में मध्य भारत के निवासी

अध्ययन, और इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि किसी भी राज्य के लिए अपनी सीमाओं के भीतर शिक्षा को प्रोत्साहित करना एक वैध और प्रशंसनीय उद्देश्य है। शिक्षा एक राज्य का विषय है, और

संविधान के भाग IV में घोषित निर्देशक सिद्धांत

यह है कि राज्य को प्रभावी प्रावधान करने चाहिए

अपनी अर्थव्यवस्था की सीमाओं के भीतर शिक्षा। (अनुच्छेद 41 के अनुसार)। राज्य को रखरखाव और संचालन में योगदान देना होगा

अपने शैक्षणिक संस्थानों से। हम इस याचिका में हैं। यह एक मेडिकल कॉलेज से संबंधित है, और यह सर्वविदित है कि

इसे बनाए रखने के लिए काफी वित्त की आवश्यकता होती है। संस्था। यदि राज्य को इस पर पैसा खर्च करना पड़ता है, तो क्या यह अनुचित है कि वह शिक्षा प्रणाली को इस तरह से आदेश दे कि इसका लाभ कम से कम कुछ हद तक सुनिश्चित हो।

राज्य के लाभ के लिए? को दी गई रियायत

फीस के मामले में राज्य के निवासियों की गणना स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती है, क्योंकि संभवतः उनमें से कुछ, कॉलेज से उत्तीर्ण होने के बाद, के रूप में बस सकते हैं

डॉक्टर और इलाके की जरूरतों को पूरा करते हैं। इस प्रकार वर्गीकरण एक ऐसे आधार पर आधारित है जिसका विधान के विषय-वस्तु के साथ उचित संबंध है, और परिणामस्वरूप हमले के लिए खुला नहीं है। यह पंजाब राज्य में आयोजित किया गया है।

वी. अजैब सिंह और एक अन्यः 1953 एस. सी. आर. 254 कि ए भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण वैध रूप से किया जा सकता है

आधार। इस तरह का वर्गीकरण विशिष्ट रूप से न्यायसंगत होगा और

उचित, जहाँ यह शिक्षा से संबंधित है जो है

मुख्य रूप से राज्य की चिंता। इसलिए यह तर्क कि कैपिटेशन शुल्क लगाने वाला नियम अनुच्छेद का उल्लंघन है

14 अस्वीकार किया जाना चाहिए। "

17. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि सौरभ चौधरी में, संविधान पीठ ने पाया कि दूसरी संविधान पीठ डी. आर. में है।

तन्वी बहल बनाम। श्रे गोएल और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

D.P.Joshi ने इस तर्क को खारिज कर दिया था कि मेडिकल कॉलेजों में लिए गए छात्रों के संबंध में अधिवास/निवास के आधार पर कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, सौरभ चौधरी के मामले में, इस न्यायालय ने D.P.Joshi के निर्णय पर भरोसा किया, जबकि यह अभिनिर्धारित किया कि अधिवास/निवास आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं थी। इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा इस व्याख्या को मानते हुए, यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण/वरीयता एक ऐसी अवधारणा है जिसे पूरी तरह से उखाड़ फेंका गया है और समाप्त कर दिया गया है।

18. विवादित आदेश में, उच्च न्यायालय ने यह देखा कि सौरभ चौधरी (ऊपर) में उपरोक्त अनुच्छेद 29 से 32 हैं। यह तर्क देने के लिए कि अधिवास के आधार पर वरीयता स्वीकार्य है और चीजों की संवैधानिक योजना का उल्लंघन नहीं करती है, प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं (उनमें से कुछ यहां अपीलकर्ता हैं) द्वारा भरोसा किए जाने की मांग की गई थी। हालांकि, इस तरह के विवाद को नोटिस करने के बाद, उच्च न्यायालय ने संस्थागत वरीयता के प्रस्ताव को बदल दिया और

डॉ. चाहत में अपने निर्णय के अंशों को व्यापक रूप से पुनः प्रस्तुत किया गया

भाटिया (ऊपर)। इसके बाद उच्च न्यायालय ने विवरण पुस्तिका के प्रश्नगत खंड 2 बी में शर्तों का उल्लेख किया और उसमें बुनियादी खामियां और कमियां पाईं। ऐसा कहने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही ऐसा आरक्षण (यानी, अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण) संभव हो, उसे यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि विवरण पत्रिका में प्रश्न किया गया खंड अस्थिर था। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि इस न्यायालय ने सौरभ चौधरी और डॉ.

प्रदीप जैन ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मामलों में निवास के आधार पर वरीयता को कम किया जाना चाहिए; और सौरभ चौधरी में अनुच्छेद 46 के साथ-साथ अनुच्छेद 1 को भी दोहराते हुए कहा है कि सौरभ चौधरी में निष्कर्ष वही था जो डॉ. प्रदीप जैन में दिया गया था। प्रक्रिया में 13 उच्च न्यायालय के निर्णय में अन्य संदर्भित परिच्छेद संस्थागत वरीयता से संबंधित मुद्दे से संबंधित हैं और डॉ. प्रदीप जैन में निर्धारित कानून के साथ अपने समझौते का संकेत देने वाली संविधान पीठ का निष्कर्ष केवल संस्थागत वरीयता के संबंध में था, जहां संविधान पीठ ने अंत में निम्नलिखित रूप में ध्यान दिया और टिप्पणी कीः

" 67. अतः यह न्यायालय निम्नलिखित पर ध्यान दे सकता हैः

(i) राज्य विश्वविद्यालयों का संचालन करता है।

((ii) चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है।

राज्य के छात्र।

(iii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वालों को भी वजीफा दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, कुछ सीटों का उचित सीमा तक आरक्षण समानता खंड का उल्लंघन नहीं करेगा।

इस तरह की चर्चा और तर्क को उच्च न्यायालय ने छुआ तक नहीं है

यह तर्क कि संविधान द्वारा उपरोक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए

बेंच, अधिवास के आधार पर वरीयता पूरी तरह से नहीं थी

अस्वीकार्य; और ऐसा लगता है कि स्पष्ट रूप से आयात से चूक गए हैं

सौरभ चौधरी में संविधान पीठ द्वारा दिया गया दूसरा जवाब, उपरोक्त उद्धृत अनुच्छेद 29 से 32 में हो रहा है।

19. ऐसा प्रतीत होता है कि सौरभ में संविधान पीठ के लिए

चौधरी ने डॉ. प्रदीप जैन के अवलोकन को काफी हद तक मंजूरी दी है।

संस्थागत वरीयता के प्रश्न के संबंध में मामला, उच्च न्यायालय यह मान लिया है कि डॉ. प्रदीप जैन के सभी अवलोकन इप्सो थे

वास्तविक रूप से अनुमोदित। यह सच है कि डॉ. प्रदीप जैन के मामले में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अधिवास/निवास के बारे में अपनी पूर्ण अस्वीकृति व्यक्त की।

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में आधारित आरक्षण 14 1 4 लेकिन इस तरह की टिप्पणियाँ

((iv) संस्थागत वरीयता का मानदंड अब बना हुआ है। यह पिछले लगभग दो वर्षों से अधिकांश राज्यों में संतोषजनक रूप से काम कर रहा है।

दशकों से।

(v) वे राज्य भी जिन्होंने डॉ. प्रदीप मामले में इस न्यायालय के फैसले की अवहेलना की थी।

जैन मामले ने संस्थागत वरीयता की आवश्यकता को महसूस किया था।

(vi) वहाँ से प्रस्थान करने के लिए कोई पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है।

यह अच्छी तरह से स्थापित प्रवेश मानदंड।

(vii) यह किसी भी संदेह से परे है कि संस्थागत वरीयता एक उचित और पहचान योग्य वर्गीकरण पर आधारित है। ऐसा हो सकता है कि आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण करते समय निश्चित रूप से कुछ स्थानीय छात्रों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वरीयता दी जाएगी कि एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिवास/निवास एक मानदंड था। लेकिन स्थानीय छात्रों के साथ-साथ अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले 15 प्रतिशत छात्रों को भी वही लाभ मिलेगा। संस्थागत वरीयता के माध्यम से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत और कम हो जाएगा यदि इस न्यायालय का निर्णय डॉ।

प्रदीप जैन के मामले का ईमानदारी से पालन किया जाता है।

(viii) ऐसी वरीयता देना राज्य की नीति का विषय है जिसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने की स्थिति में ही अमान्य किया जा सकता है।

भारत का संविधान।

(ix) जिन छात्रों को पहचान योग्य आधार पर संस्थागत वरीयता का लाभ मिलेगा, उनमें हेरफेर की शायद ही कोई गुंजाइश है। 14 डॉ. प्रदीप जैन में, अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण की पूर्ण अस्वीकृति

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम निम्नलिखित में बताए गए थेः

" 22 ..... इसलिए हमारा विचार है कि जहां तक एम. एस., एम. डी. और इसी तरह के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश का संबंध है, यह विशेष रूप से वांछनीय होगा कि इसके भीतर निवास की आवश्यकता के आधार पर किसी भी आरक्षण का प्रावधान न किया जाए।

राज्य या संस्थागत वरीयता पर। लेकिन, व्यापक को ध्यान में रखते हुए

शिक्षा में अवसर की समानता और संस्थागत निरंतरता पर विचार जिसका अपना महत्व और मूल्य है, हम निर्देश देंगे कि हालांकि राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता प्रवेश डी. आर. में आरक्षण का आधार नहीं होगी।

तन्वी बहल बनाम। श्रे गोएल और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

डॉ. प्रदीप जैन, जब सौरभ चौधरी में निर्णय के उपरोक्त पैराग्राफ 29 से 32 के संदर्भ में पढ़ा जाता है, तो अपरिहार्य परिणाम यह है कि अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण को इन प्रवेश प्रक्रियाओं के लिए पूरी तरह से अभिशाप के रूप में नहीं लिया गया है।

20. इस मोड़ पर, हम इन मामलों में उद्धृत और उन पर निर्भर अन्य निर्णयों पर भी संक्षेप में ध्यान दे सकते हैं।

20.1 . उत्तरदाताओं द्वारा अन्य निर्णयों पर भरोसा किया गया

अपने स्वयं के तथ्यों पर आगे बढ़े और आरक्षण के विशेष प्रिस्क्रिप्शन को अपनी कमियों के लिए अमान्य पाया गया। अब तक जगदीश सरन, डॉ. प्रदीप जैन और मगन मेहरोत्रा में निर्णयों का संबंध है, जैसा कि देखा गया है, वे सौरभ चौधरी में संविधान पीठ द्वारा निर्णय से पहले प्रस्तुत किए गए थे।

20.2 . निखिल हिम्मथानी (ऊपर) में उत्तराखंड राज्य ने प्रावधान किया था कि सरकारी कॉलेजों से केवल ऐसे एमबीबीएस पास-आउट ही होंगे। उत्तराखंड के जिनके माध्यम से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया था

उत्तराखंड राज्य पीएमटी पात्र होगा, जिसका अर्थ है कि अखिल भारतीय पीएमटी के माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, यह भी प्रावधान किया गया था कि राज्य के बाहर के कॉलेजों से एमबीबीएस उत्तीर्ण केवल तभी पात्र होंगे जब वे उत्तराखंड राज्य के अधिवासी हों और

अखिल भारतीय पीएमटी या उत्तराखंड राज्य पीएमटी के माध्यम से अन्य राज्यों में एमबीबीएस के माध्यम से चयन किया गया। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा कि राज्य के संस्थागत कोटे के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिवास के आधार पर उम्मीदवारों को कोई वरीयता नहीं दी जा सकती है।

20.3 . विशाल गोयल और डॉ. कृति लखिना (उपरोक्त) में भी केवल 'कर्नाटक मूल के उम्मीदवार' को उपस्थित होने के योग्य होने के लिए प्रदान किया गया था।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए, वर्तमान परिस्थितियों में कुछ प्रतिशत सीटें संस्थागत वरीयता के आधार पर इस अर्थ में आरक्षित की जा सकती हैं कि किसी मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय से एमबीबीएस पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्र को उसी मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए वरीयता दी जा सकती है, लेकिन संस्थागत वरीयता के आधार पर ऐसा आरक्षण किसी भी स्थिति में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपलब्ध कुल खुली सीटों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह बाहरी सीमा जो हम तय कर रहे हैं, वह भी भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा नीचे की ओर उसी तरह से संशोधन के अधीन होगी जैसे एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के मामले में हमारे द्वारा निर्देशित किया गया था। लेकिन, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में भी, हम निर्देश देंगे कि जहां तक न्यूरो सर्जरी और कार्डियोलॉजी जैसी सुपर स्पेशलिटी का संबंध है, संस्थागत वरीयता के आधार पर भी कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए और प्रवेश विशुद्ध रूप से अखिल भारतीय आधार पर योग्यता के आधार पर दिए जाने चाहिए। ”

(आपूर्ति

को रेखांकित करना)

9] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रवेश परीक्षा के लिए; और अभिव्यक्ति को इस तरह से परिभाषित किया गया था ताकि एक ऐसे उम्मीदवार को बाहर रखा जा सके जिसने अन्यथा कर्नाटक राज्य के किसी संस्थान में एमबीबीएस या बीडीएस पूरा किया था। प्रदीप जैन के मामले में निर्णय के साथ टकराव के कारण इस तरह की शर्त को मंजूरी नहीं दी गई थी। विशाल गोयल के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 11. श्री मारियारपुथम सही हैं कि सौरभ चौधरी बनाम। भारत संघ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संस्थागत वरीयता एक राज्य द्वारा दी जा सकती है, लेकिन सौरभ चौधरी के उपरोक्त निर्णय में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि संस्थागत वरीयता देने के राज्य के निर्णय को न्यायालय द्वारा अमान्य किया जा सकता है यदि यह दिखाया जाता है कि राज्य का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार से परे है।

संविधान। जब हम दो सूचना बुलेटिनों के खंड 2.1 के उपखंड (ए) की जांच करते हैं, तो हम पाते हैं कि "कर्नाटक मूल का एक उम्मीदवार" अभिव्यक्ति जो केवल पात्र है प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होना इस तरह से परिभाषित किया गया है कि

एक उम्मीदवार जिसने कर्नाटक राज्य के किसी संस्थान में एम. बी. बी. एस. या बी. डी. एस. की पढ़ाई की है, लेकिन जो संविधान के खंड 2 के उपखंड (ए) की अन्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

पीजीईटी-2014 के लिए सूचना बुलेटिन। इस प्रकार, संस्थागत वरीयता खंड के उपखंड (ए) द्वारा दी जानी चाहिए।

2.1 पीजीईटी-2014 के लिए सूचना बुलेटिन प्रदीप जैन मामले में इस अदालत के फैसले के स्पष्ट रूप से विपरीत है।

20.4 . सत्यव्रत साहू (उपरोक्त) में उम्मीदवारों की दो श्रेणियां थीं-प्रत्यक्ष और सेवा में। प्रत्यक्ष श्रेणी में, छात्र थे

प्रतियोगी परीक्षा द्वारा निर्धारित अंतर-से-शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सख्ती से चयन किया जाना, जबकि सेवा में उम्मीदवारों की एक सीमित श्रेणी थी जिन्होंने दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में कम से कम तीन साल की सेवा दी थी। 87 इन-सर्विस के लिए सीटें उपलब्ध थीं। उम्मीदवार और 86 प्रत्यक्ष श्रेणी के लिए। प्रत्यक्ष श्रेणी में सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों के लिए भी आरक्षित थीं और उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए भी जो कुछ शर्तों के अधीन अपने मूल राज्य से चले गए थे। प्रत्यक्ष उम्मीदवारों की श्रेणी के तहत, उन उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त महत्व था जो ओडिशा सरकार/ओडिशा सरकार के उपक्रम/भारत सरकार/ओडिशा में स्थित सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत थे और जिन्होंने ग्रामीण/आदिवासी/पिछड़े क्षेत्रों में काम किया था। प्रत्येक डी. आर. के लिए प्राप्त अंकों के अधिकतम 30 प्रतिशत तक, अंकों के 10 प्रतिशत का अतिरिक्त भारांक।

तन्वी बहल बनाम। श्रे गोएल और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रत्यक्ष श्रेणी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को दूरस्थ या कठिन क्षेत्रों में प्रदान की गई सेवा का वर्ष प्रदान किया गया था। इस तरह की शर्तों से निपटने के दौरान, यह बताया गया कि वेटेज केवल इन-सर्विस श्रेणी के लिए उपलब्ध था, जिसके लिए पीजी प्रवेश के लिए 50 प्रतिशत सीटें पहले ही निर्धारित की जा चुकी थीं। न्यायालय का विचार था कि उस महत्व के बल पर, खुली श्रेणी के उम्मीदवारों (प्रत्यक्ष प्रवेश श्रेणी) के लिए निर्धारित सीटों का अतिक्रमण या अतिक्रमण या विनियोग उन उम्मीदवारों को प्रभावित करेगा जो योग्यता के आधार पर सख्ती से प्रतिस्पर्धा करते हैं और एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता है। एक और। इसलिए, सेवा श्रेणी के उम्मीदवार खुली श्रेणी का अतिक्रमण नहीं कर सकते थे और इसके विपरीत।

20.5 . उपरोक्त निर्णय अपने स्वयं के तथ्यों पर आगे बढ़ते हैं लेकिन यह पता लगाना मुश्किल है कि अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण है

पूरी तरह से अस्वीकृत। हालांकि, इस तरह के अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण प्रदान करने का तरीका हमेशा इस बात के अधीन रहेगा कि

तर्कसंगतता और तर्कसंगतता की आवश्यकताएँ; और यदि तर्कहीन या मनमाना पाया जाता है तो इसे अनुमोदित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि विशाल गोयल और डॉ. कृति लखिना (उपरोक्त) में किया गया था।

21. जहां तक यतीनकुमार के मामले (ऊपर दिए गए) में निर्णय का संबंध है, यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि इसमें इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने

सौरभ चौधरी सहित कई निर्णय और दोहराया कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में संस्थागत वरीयता को लगातार अनुमोदित और अनुमति दी गई है। हालाँकि, न्यायालय के समक्ष आग्रह की गई दलीलों में से एक यह थी कि एन. ई. ई. टी. की शुरुआत के साथ, जिस उद्देश्य के लिए इस न्यायालय द्वारा संस्था की वरीयता की अनुमति दी गई थी, वह अब मौजूद नहीं था। इस न्यायालय ने इन प्रवेशों की योजना पर ध्यान दिया और पाया कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश, संस्थागत वरीयता/आरक्षण के मामले में भी, केवल योग्यता और एन. ई. ई. टी. में प्राप्त अंकों के आधार पर दिए जाने थे। यतीनकुमार के मामले में यह निर्णय अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण से संबंधित वर्तमान मामलों में शामिल मुख्य मुद्दे से संबंधित नहीं है, लेकिन इस निर्णय से ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह न्यायालय

निर्विवाद रूप से इस स्थिति को दोहराया है कि किसी भी कोटा या वरीयता पर पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल

एन. ई. ई. टी. में प्राप्त योग्यता और अंकों का आधार।

22. इस मोड़ पर और नीट के संबंध में यतीनकुमार के मामले (उपरोक्त) में होने वाली टिप्पणियों के लिए, हम इस तथ्य पर भी ध्यान दे सकते हैं कि सभी [2019] 14 एस. सी. आर. के लिए समान प्रवेश परीक्षा के प्रावधान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के चिकित्सा शैक्षिक संस्थानों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 ('1956 का अधिनियम') में धारा 10 डी 1 5 के रूप में शामिल किया गया। 2016 के अध्यादेश संख्या 4 का दिनांक 24.05.2016 जो बाद में जारी किया गया था।

भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। जिस पृष्ठभूमि में उक्त प्रावधान जोड़ा गया था, वह यह थी कि भारतीय चिकित्सा परिषद और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद ने मौजूदा वैधानिक नियमों में संशोधन करते हुए दिनांक 21.12.2010 पर अधिसूचना जारी की थी। एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकल राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एन. ई. ई. टी.) प्रदान करना। उक्त अधिसूचनाओं को क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर बनाम के मामले में रद्द कर दिया गया था। भारत संघः (2014) 2 एससीसी 305। हालाँकि, उक्त निर्णय को समीक्षा याचिका (सी) संख्या में 11.04.2016 दिनांकित आदेश द्वारा वापस ले लिया गया था। 2159-2268 2013 से। पेशेवर गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ चिकित्सा से संबंधित कई विशेषताएं

और दंत शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की जाँच की गई और इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा 02.05.2016 पर फैसला सुनाया गया।

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र और अन्य के मामले में। वी. मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। : (2016) 7 एससीसी 353। यही वह पृष्ठभूमि थी जिसमें 1956 के डब्ल्यू. ई. एफ. अधिनियम में धारा 10 डी लागू की गई थी। मॉडर्न डेंटल कॉलेज में उक्त निर्णय में टिप्पणियों के साथ-साथ इस तथ्य का प्रभाव भी है कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल इस पर आधारित हैं एन. ई. ई. टी. में प्राप्त योग्यता के लिए अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण पर भी विचार करने की आवश्यकता होती है।

राज्य कोटा सीटों के संबंध में आरक्षण व्यवहार्य नहीं हो सकता है। 15 भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 में अंतःस्थापित धारा 10 डी निम्नानुसार हैः 10 डी. स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में और ऐसी रीति से आयोजित की जाएगी जो निर्धारित की जाए और निर्दिष्ट प्राधिकारी उपरोक्त तरीके से एक समान प्रवेश परीक्षा का संचालन सुनिश्चित करेगाः

बशर्ते कि किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के बावजूद, इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी विनियमों के अनुसार आयोजित शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातक स्तर पर समान प्रवेश परीक्षा के संबंध में, इस धारा के प्रावधान राज्य सरकार की सीटों (चाहे वह सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो या किसी निजी मेडिकल कॉलेज में) के संबंध में लागू नहीं होंगे, जहां ऐसे राज्य ने ऐसी परीक्षा का विकल्प नहीं चुना है। डॉ.

तन्वी बहल बनाम। श्रे गोएल और ओआरएस।

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए। जैसा कि देखा गया है, मौलिक तथ्य यह है कि चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सभी प्रवेश, चाहे वह अखिल भारतीय कोटा हो या राज्य कोटा, एन. ई. ई. टी. में प्राप्त रैंक के आधार पर किए जाते हैं, अन्यथा 1616 नहीं। 50 प्रतिशत सीटें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य कोटा सीटों के रूप में आवंटित की जाती हैं। जैसा कि देखा गया है, विभिन्न राज्य

और केंद्र शासित प्रदेशों ने इन्हें भरने के लिए अलग-अलग प्रावधान किए हैं।

राज्य कोटा सीटें। संस्थागत वरीयता, जिसे इस न्यायालय के निर्णयों में भी अनुमेय माना गया है, स्पष्ट रूप से ऐसी राज्य कोटा सीटों के संबंध में लागू होती है। हालाँकि, जब संस्थागत वरीयता ऐसी राज्य कोटा सीटों के संबंध में एक प्रमुख या प्रमुख भूमिका निभाती है, तब भी विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अधिवास/निवास के संदर्भ में अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं, जो प्रतीत होता है कि इस उद्देश्य के लिए हैं। यह सुनिश्चित करना कि किसी विशेष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के उम्मीदवार पद के बाद उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में सेवा प्रदान करने के लिए उपलब्ध हों

स्नातक।

23.1 . राज्य कोटा सीटों के संबंध में विशिष्ट विशेषता यह है कि यदि अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण के संबंध में कुछ प्रावधान नहीं किया जाता है, तो इन राज्य कोटा सीटों को भरने का एकमात्र अन्य तरीका संस्थागत वरीयता के रूप में होगा। इससे प्रभावी रूप से संपूर्ण राज्य कोटा सीटें अकेले संस्थागत वरीयता में चली जाएंगी। अब, यदि पूरे राज्य कोटा सीटों को संस्थागत के लिए प्रदान किया जाता है

अकेले वरीयता, परिणाम यह होगा कि केवल उम्मीदवार

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों की संख्या राज्य कोटा सीटों को भर रही होगी और इस तरह का परिणाम बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हो सकता है। 23.2 . इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के संबंध में अनूठी स्थिति यह है कि इसमें केवल एक मेडिकल कॉलेज है। इस प्रकार, वितरण में

प्रश्न, जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और उसके मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रदान किया गया है और जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा समझा गया है, यदि लागू किया जाता है, तो अनिवार्य रूप से उस एकल मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा सभी राज्य कोटा पीजी सीटों पर कब्जा कर लिया जाएगा। वैकल्पिक रूप से, यदि राज्य कोटे की केवल 50 प्रतिशत सीटें उस मेडिकल कॉलेज को दी जाती हैं, तो राज्य कोटे की शेष 50 प्रतिशत सीटें फिर से अखिल भारतीय कोटे के पूल में आ जाएंगी क्योंकि इन सीटों को भरने का कोई अन्य तरीका नहीं है। अगर ऐसे परिणामों में से किसी एक को स्वीकार किया जा सके तो हमें यह मुश्किल लगता है। 23.3 . यह भी उल्लेखनीय है कि परीक्षा निकाय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भी राज्य कोटा सीटों को इसके द्वारा भरा जा सकता है -

16 व्यक्तियों के निर्दिष्ट वर्ग के संबंध में आरक्षण के प्रावधानों के अधीन।

राज्य, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिवास के संदर्भ में। इस परिदृश्य में, यह स्वीकार करना फिर से मुश्किल है कि राज्य कोटा की खुली सीटों को भरने के लिए प्रदान किए गए अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण को पूरी तरह से अमान्य माना जाए।

24. सारांश देने और संदर्भ देने से पहले, हम देख सकते हैं

यह पारित करते हुए कि वर्तमान मामले के संबंध में, उच्च न्यायालय ने प्रश्नगत विवरण पत्रिका के आक्षेपित खंड 2 बी में की गई शर्तों को अस्वीकार करने के लिए कई कारणों का संकेत दिया है। प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि भले ही स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश में अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण की अनुमति दी जाती है, फिर भी इसके आवेदन के लिए तरीके और तौर-तरीकों की आगे जांच की आवश्यकता होगी क्योंकि यह संदिग्ध बना हुआ है कि क्या इस तरह के आरक्षण को ऐसी शर्तों के माध्यम से लागू किया जा सकता है, जैसा कि प्रश्नगत विवरण पत्रिका के विवादित खंड 2 बी में किया गया है। ऐसा कहने के बाद और इन मामलों में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के लिए, हमें अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण से संबंधित उपखंडों का सूक्ष्म विश्लेषण करना आवश्यक नहीं लगता है जैसा कि प्रश्नगत विवरण पत्रिका के विवादित खंड 2 बी में होता है और ऐसे प्रश्नों को बड़ी पीठ द्वारा मूल प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर निर्धारित करने के लिए खुला छोड़ देंगे।

सारांश और संदर्भ

25. यहाँ ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, हमारे विचार में,

यह प्रश्न कि क्या अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण का प्रावधान, विशेष रूप से स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, संवैधानिक रूप से अनुमत है और इसके कार्यान्वयन के तरीके और तौर-तरीकों (यदि अनुमत हो) सहित इसके परिणाम, विशेष रूप से राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में, जहां केवल एक ही चिकित्सा महाविद्यालय है, की आधिकारिकता के लिए इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ द्वारा जांच की जानी चाहिए। घोषणा।

26. तदनुसार हम निम्नलिखित प्रश्नों का प्रस्ताव करेंगे -

इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ द्वारा जाँच की जाए:

1. क्या अधिवास/निवास-आधारित प्रावधान

"पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों" में प्रवेश में आरक्षण

राज्य कोटा संवैधानिक रूप से अमान्य है और है

अस्वीकार्य?

2. (क) यदि पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है और यदि "स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों" में प्रवेश में अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण की अनुमति है, तो तन्वी बेहल बनाम क्या होना चाहिए।

श्रे गोएल और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

राज्य कोटा सीटों के भीतर "स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों" में प्रवेश के लिए इस तरह के अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण प्रदान करने की सीमा और तरीका? फिर से, यदि "पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों" में प्रवेश में अधिवास/निवास-आधारित आरक्षण की अनुमति है, यह देखते हुए कि सभी प्रवेश एन. ई. ई. टी. में प्राप्त योग्यता और रैंक के आधार पर होने चाहिए, तो ऐसे अधिवास/निवास प्रदान करने का तरीका क्या होना चाहिए।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में आधारित आरक्षण

केवल एक मेडिकल कॉलेज?

"पी. जी. मेडिकल पाठ्यक्रमों" में प्रवेश में निकाइल/निवास-आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं है, क्योंकि अनुमेय संस्थागत अनिवार्य सीटों के अलावा अन्य राज्य ओ. टी. ए. सीटों को कैसे भरा जाना है?दोषियों को उपयुक्त बड़ी पीठ के गठन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। अंतरिम आदेश के मामले अगले आदेश तक जारी रहेंगे।

मामले बड़े बेंच को संदर्भित किए जाते हैं।